<u>ि 1</u> 🥙 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1322/2011</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1322 / 2011 संस्थापित दिनांक 23 / 11 / 2011 फाईलिंग नम्बर 230303002312011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

- धीरज जैन पुत्र वदन जैन उम्र 25 साल व्यवसाय दुकानदारी निवासी प्रशांत टांकीज के सामने हनुमान चौराहा,पुलिस थाना मालनपुर जिलाभिण्ड म0प्र0
- 2. सतीश कुमार पुत्र भगवतीप्रसाद शर्मा उम्र 30 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी— खुमान का पुरा पुलिस थाना मालनपुर,जिला भिण्ड म०प्र0

...... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी सतीश द्वारा अधिवक्ता—श्री के०पी०राठौर ।) (आरोपी धीरज द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०गुर्जर ।)

<u>::— नि र्ण य —::</u> (आज दिनांक 02 / 12 / 2016 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 25/10/11 एवं उसके पूर्व मालनपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के उल्लघंन में आवश्यक वस्तु घरेलू गैस सिलेण्डर का धीरज जैन के मकान एवं गोदाम में अवैध रूप से भण्डारण कर एवं उन्हें अधिक कीमतों पर अवैध रूप से विक्रय करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25 / 10 / 11 को फरियादी रामेन्द्र सिंह भदौरिया ने सूचना के आधार पर एस०डी०एम० एल०एल०सोनी,तहसीलदार आर०एस०बाकना के साथ धीरज जैन के मकान स्थित मालनपुर में निरीक्षण किया था तो उसने लोडिंग गाडी एम.पी.07 एल—1791 से घरेलू गैस सिलेण्डर आरोपी धीरज जैन के मकान में खाली किये जाते पाये थे। उसमें से 07 सिलेण्डर घर के अंदर एवं 03 सिलेण्डर गाडी में रखे हुये पाये गये थे। मौके पर ही पंचनामा बनाया गया था। आरोपी धीरज जैन का गोदाम छोटेलाल माहौर के मकान भदौरिया होटल के पीछे था धीरज जैन ने गोदाम का ताला खोला था तो उसमें 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (वी०पी०सी०) के भरे हुये रखे पाये गये थे। आरोपी धीरज जैन के पास उक्त सिलेण्डर रखने बाबत कागजात नहीं थे धीरज जैन द्वारा उक्त सिलेण्डर अधिक मूल्य पर बेचने के कारण सिलेण्डर जप्त किये गये थे एवं सीताराम गैस एजेंसी गोहद के सुर्पुद किये गये थे। आरोपी से सिलेण्डर एवं गाडी जप्त कर मौके पर पंचनामा बनाया गया था एवं आरोपी धीरज जैन तथा गाडी ड्रायवर सतीश शर्मा को अभिरक्षा में दिया गया था। उक्त संबंध में फरियादी रामेन्द्र भदौरिया द्वारा थाना प्रभारी मालनपुर को लेखीय आवेदन दिया गया था। आवेदन के आधार पर पुलिस थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अप०क्0172/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोपगत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जााने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।

5. 💚 🔭 <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :—</u>

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 25/10/11 को मालनपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उल्लघंन में मकान एवं गोदाम में धरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया एवं उन्हें अधिक कीमतों पर अवैध रूप से विक्रय किया?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रामेन्द सिंह भदौरिया आ0सा01,हितेन्द्र दुबे आ0सा02, चेतनप्रकाश जैन आ0सा03, मुकेश कुमार श्रोतिय आ0सा04,छोटेलाल आ0सा05, एवं ए०एस0आई राकेशप्रसाद आ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी अंकुश उर्फ धीरज ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामेन्द्र सिंह भदौरिया आ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी धीरज जैन एवं सतीश शर्मा को जानता है घटना दिनांक 25/10/11 को सुबह 10:00बजे की हैं। वह अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनी जी और तहसीलदार श्री वाकना,चेतन जैन,हितेन्द्र दुबे एवं टी०आई मालनपुर श्री शर्मा के साथ एस०डी०एम० की

🌠 🔗 आपराधिक प्रकरण कमांक 1322/2011

सूचना के आधार पर मालनपुर स्थित आरोपी धीारज जैन के मकान के सामने पहुंचे थे तो उन्होनें देखा था कि टाटा लोडिंग गाडी से घरेल गैस सिलेण्डर धीरज जैन के मकान पर उतारे जा रहे थें। मौके पर स्थित का निरीक्षण करने पर लोडिंग आटों में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर वी0पी0सी0 के भरे हुये और घर का निरीक्षण करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर वी०पी०सी० के भरे हुये एवं 02 सिलेण्डर (वी०पी०सी०) के खाली एवं 01 इंडियन कंपनी का खाली गैस सिलेण्डर रखे हुये पाये गये थे। उक्त संबंध में धीरज जैन द्वारा कोई उचित कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये थे इस कारण उन्हें जप्त किया गया था। इसी दौरान वहां काफी भीड इकटठा हो गई थी जिसमें से कुछ लोगों ने बताया था कि भदौरिया होटल के पीछे उसका एक गोदाम हैं। जिसमें गैस सिलेण्डर रखे हुये हैं। मौके पर ही आरोपी को गोदाम पर ले जाया गया तो वहां आरोपी धीरज जैन ने स्वयं अपनी चाबी से लगे हुये ताले को खोला एवं उसका निरीक्षण करने पर उसके अंदर 12 भरे हुये गैस सिलेण्डर रखे हुये पाये गये। उक्त संबंध में आरोपी के पास कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये थे। आरोपी धीरज जैन से पूंछताछ करने पर उसने उक्त सिलेण्डर सुविधा गैस एजेंसी के मालिक ओमप्रकाश भार्गव के यहां से लाना एवं 600 / – रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से बेचना बताया था। चूंकि उक्त सिलेण्डर के संबंध में आरोपी द्वारा कोई कागजात पेश नहीं किये गये थे इसलिये उक्त सभी 22 सिलेण्डर मौके पर जप्त किये गये थें। मौके पर दोनो सीनों का पंचनामा बनाया गया था जप्ती पत्रक बनाये गये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी01 है एवं गोदाम पर बनाया गया पंचनामा प्र0पी02 है जिनके क्रमशः एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी धीरज जैन से लोडिंग आटो और 22 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया गया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सुर्पुदगीनामा प्र0पी04 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने थाना प्रभारी मालनुपर को लेखीय आवेदन दिया था जो प्र०पी०५ है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। एफ0आई0आरप्र0पी06 है जिसके एसेए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे कार्यवाही के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0प07 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है लोडिंग वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी08 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सतीश को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी09 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0प010 एवं 11 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि जप्ती पंचनामा प्र0पी03 आरोपी सतीश के संबंध में नहीं बनाया गया है वह नहीं बता सकता हैकि आरोपी सतीश एम0पी0—07एल0—1791 का मालिक था या नहीं एवं व्यक्त किया हैकि सतीश गांडी चला रहा था और वह मौके पर था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि जप्ती पंचनामा प्र0पी03 पर आरोपी सतीश के मौके पर उपस्थित होने का कोई जिक्र नहीं हैं और न ही उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि प्र0पी01 एवं प्र0पी02 के पंचनामें पर तहसीलदार एवं एस0डी0एम0 के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 09. साक्षी हितेन्द्र दुबे आ०सा०२ एवं चेतनप्रकाश जैन आ०सा०३ ने भी फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण से घरेलू सिलेण्डर जप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।
- 10. साक्षी मुकेश कुमारि श्रोतिय आ०सा०४ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह

आरोपी धीरज एवं सतीश को जानता हैं। आरोपी सतीश उसका ड्रायवर था उसकी गाडी छोटा हाथी टाटा लोडिंग एम.पी.07 एल.1791 है। उसके न्यायालीन कथन से 03-04 साल पहले आरोपी सतीश उसकी गाडी पर चालक था वर्तमान में वह उसकी गाडीपर डायवर नहीं है घटना के समय वह कंपनी पर डियूटी पर था एक जैन व्यक्ति सतीश को ग्वालियर लेकर गया था और वहां से वह गाडी में गैस सिलेण्डर लेकर आया था। उसे सतीश ने बताया था कि गाडी में घरेलू गैस सिलेण्डर पकडे गये हैं उससे गाडी के कागज जप्त किये गये हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी013 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसकी गाडी सिलेण्डर ले जाने का कार्य नहीं हुये थे। पद क03 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसकी गाडी सिलेण्डर ले जाने का कार्य नहीं करती हैं।

- 11. साक्षी छोटेलाल आ०सा०५ ने अपने कथन में व्यक्त किया हैकि वह आरोपी धीरज जैन को नहीं जानता है उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपना कमरा 400 / —रूपये प्रतिमाह पर आरोपी धीरज जैन को किराये पर दिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैकि धीरज जैन उक्त कमरे में गैस सिलेण्डर एवं पेप्सी के कार्टून रखता था।
- 12. एस०आई राकेशप्रसाद आ०सा०६ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाहैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी धीरज जैन गैस सिलेण्डर वितिरत करने का कार्य करता है एवं उसके द्वारा नियमानुसार ही सिलेण्डर का भण्डारण एवं विकय किया जा रहा था। उक्त संबंध में बचाव पक्ष द्वारा आरोपी अंकुश उर्फ धीरज ब0सा01 को परीक्षित कराया गया हैं। आरोपी धीरज ब0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैिक वर्ष 2011 में वह सिमधा गैस एजेंसी से गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितिरत करने का कार्य करता था घटना दिनांक को सिमधा गैस एजेंसी ग्वालियर से उसके यहां गैस सिलेण्डर वितिरत करने हेतु भेजे गये थे जिसमें से कुछ उसकी दुकान पर थे और कुछ गोदाम में थे किसी भी गाडी में कोई सिलेण्डर नहीं था। उसे सिमधा गैस एजेंसी द्वारा दिनांक 16/1/01 को भारत गैस एजेंसी के सिलेण्डर वितिरत करने का अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया था जो प्र0डी02 है तथा वितरण की रसीदें प्र0डी03 लगायत प्र0डी024 हैं।
- 15. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामेन्द्र सिंह भदौरिया आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया हैकि घटना वाले दिन वह एस0डी0एम0 की सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सोनी,तहसीलदार बाकना,चेतन जैन,हितेन्द्र दुबे एवं टी0आई मालनपुर के साथ आरोपी धीरज जैन के मकान पर पहुंचे थे वहां उसने देखा था कि आरोपी धीरज जैन के मकान में लोडिंग टाटा एस गाडी से गैस सिलेण्डर उतारे जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान 03 घरेलू गैस सिलेण्डर गाडी में पाये गये थे एवं 07 सिलेण्डर घर में पाये गये थे। इसके पश्चात आरोपी धीरज जैन के गोदाम का निरीक्षण किया था तो

<u> 🌕 5</u> 🤔 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1322/2011</u>

गोदाम में 12 भरे हुये गैस सिलेण्डर पाये गये थे। मौके पर ही उसने आरोपी धीरज जैन से सिलेण्डर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था तथा मौके पर ही उसने पंचनामा प्र0पी01 एवं प्र0पी02 बनाये थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि प्र0पी01 एवं प्र0पी02 के पंचनामें में तहसीलदार एवं एस0डी0एम के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु मात्र इस तथ्य के कारण संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद नहीं हो जाती हैं।

- 16. साक्षी हितेन्द्र दुबे आ०सा०२ ने भी फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया हैकि वह घटना दिनांक को एस०डी०ओ०श्री सोनी,तहसीलदार श्री बाकना,चेतन जैन तथा आपूर्ति अधिकारी श्री रामेन्द्र भदौरिया के साथ धीरज जैन के मकान के सामने निरीक्षण दस्ते के साथ गया था वहां उसने देखा था कि धीरज जैन के मकान पर लोडिग टाटा गाडी से घरेलू गैस सिलेण्डर उतारे जा रहे थे । निरीक्षण के दौरान लोडिग आटो में 03 धरेलू गैस सिलेण्डर तथा घर का निरीक्षण करने पर 06 सिलेण्डर पाये गये थे। धीरज जैन के पास सिलेण्डर रखने बाबत कागजात नहीं थे धीरज जैन के गोदाम से 12 गैस सिलेण्डर पाये गये थे जिन्हें आपूर्ति अधिकारी ने जप्त किया था। मौके पर पंचनामा प्र०पी०1 भदौरिया जी ने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०3,सुर्पुदगीनामा प्र०पी०4, जप्ती पंचनामा प्र०पी०7 एवं 8 तथा गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०12 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया हैं। साक्षी चेतनप्रकाश जैन आ०सा०3 ने भी फरियादी रामेन्द्र भदोरिया आ०सा०1 एवं हितेन्द्र दुबे आ०सा०2 के कथन का समर्थन किया हैं एवं घटना दिनांक को आरोपी धीरज जैन से 22 सिलेण्डर जप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।
- 17. इस प्रकार फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ0सा01 एवं साक्षी हितेन्द्र दुबे आ0सा02 तथा चेतनप्रकाश जैन आ0सा03 ने घटना दिनांक को आरोपी धीरज जैन से 22 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त होना बताया हैं। उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीगण का कथन आरोपी धीरज जैन से घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी03 में भी आरोपी धीरज से 22 घरेलू सिलेण्डर जप्त होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ0सा01,हितेन्द्र दुबे आ0सा02 तथा चेतनप्रकाश जैन आ0सा03 के कथन प्र0पी03 के जप्ती पंचनामें से भी पुष्ट रहे हैं।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामेन्द सिंह भदौरिया आ0सा01 एवं साक्षी हितेन्द्र दुबे आ0सा02 तथा चेतनप्रकाश आ0सा03 ने आरोपी धीरज जैन के आधिपत्य से 22 सिलेण्डर जप्त होना बताया हैं एवं यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी अंकुश उर्फ धीरज ब0सा01 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को सुमिधा गैस एजेंसी ग्वालियर से उसके यहां गैस सिलेण्डर वितरित करने हेतु भेजे गये थे जिसमें से कुछ सिलेण्डर उसकी दुकान पर थे एवं कुछ सिलेण्डर उसके गोदाम में थे। इस प्रकारा आरोपी धीरज ब0सा01 के उक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि आरोपी धीरज ब0सा01 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया हैकि घटना दिनांक को उसके पास घरेलू गैस सिलेण्डर थे एवं उससे 22 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त हुये थे। आरोपी धीरज ब0सा01 द्वारा स्वयं उससे सिलेण्डर जप्त होना स्वीकार किया गया है आरोपी धीरज ब0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया हैकि उक्त सिलेण्डर उसे सिलेण्डर उसे सिलेण्डर प्रतिरित करने हेतु भेजे गये थे एवं उसे सिलेण्डर वितरित करने का अधिकार पत्र दिया गया था जो प्र0डी02 है।

- 19. आरोपी धीरज जैन ब0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे सिमधा गैस एजेंसी द्वारा मालनपुर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण के लिये दिनांक 16/1/01 से अधिकृत किया गया हैं। परन्तु आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि सिमधा गैस एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण के लिये अधिकृत किये जाने की अधिकारिता हैं। आरोपी द्वारा उक्त बिन्दु पर सिमधा गैस एजेंसी के संचालक को भी परीक्षित नहीं कराया गया हैं एवं मात्र प्र0डी02 के प्रमाणपत्र से यह नहीं माना जा सकता हैं कि आरोपी को जप्तशुदा सिलेण्डर के भण्डारण एवं वितरण करने का अधिकार प्राप्त था। आरोपी द्वारा प्रकरण में प्र0डी03 लगायत 24 की गैस सिलेण्डर वितरण की रसीदें भी प्रस्तुत की गई है परन्तु उक्त रसीदों से भी यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी को जप्तशुदा सिलेण्डर विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था।
- 20. आरोपी धीरज ब0सा01 द्वारा यह बचाव लिया गया हैकि उसे उक्त सिलेण्डर का वितरण करने का अधिकार प्राप्त था। उक्त संबंध में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमन) आदेश 2000 की धारा 2 खण्ड (इ) में "वितरक" को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार वितरक से कोई ऐसा व्यक्ति फर्म व्यक्तियों का संगठन कंपनी,संस्था, सहकारी सोसायटी,अभिप्रेत है जो सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता के साथ किसी करार के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलेण्डरों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का क्य विक्य या विक्य के लिये भण्डारण करने के कारवार में लगा हुआ है उक्त आदेश की धारा 6 में एल0पी0जी0 के विक्य का अप्राधिकृत कारवार करने को प्रतिशेधित किया गया है जिसके अनुसार "सरकारी तेल कंपनी समानान्तर विवणनकर्ता या वितरक से भिन्न कोई व्यक्ति किसी उपभोक्ताओं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विक्य करने कारवार नहीं करेगा । "
- इस प्रकार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमन) आदेश 2000 में 21. वितरक की जो परिभाषा दी गई हैं उसके अनुसार वितरक वहीं व्यक्ति हो सकता हैं जिसने सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता के साथ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के क्रय विक्रय या भण्डारण का कारवार करने के लिये करार किया हो। आरोपी धीरज द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, करार अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी द्वारा सरकारी तेल कंपनी या सामान्तर विपणनकर्ता के साथ एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर के क्रय विक्रय भण्डारण का करार किया गया हो। प्र0डी02 का प्रमाणपत्र करार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्र0डी02 के दस्तावेज से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक वितरक को कारवास परिसर में रजिस्टर एवं लेखा बही रखना अनिवार्य हैं जिसमें वह प्रत्येक दिन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के दैनिक क्रय विक्रय और भण्डारण का उचित लेखा रखेगा जिसमें (1) भरे हुये और खाली एवं त्रृटिपूर्ण सिलेण्डरो का आरंभिक स्टाक , (2) दिन के दौरान प्राप्त भरे ह्ये खाली और त्रृटिपूर्ण सिलेण्डरो की संख्या (3) दिन के दौरान विकय किये गये परिदत्त किये गये खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरो की संख्या (4) भरे ह्ये एवं खाली त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरो का अंतिम स्टॉक (5) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम एवं पते का ब्योरा देने वाला रजिस्टर शामिल हैं। परन्तु आरोपी धीरज द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर एवं लेखाबही अपने पास नहीं रखे गये हैं जो कि उक्त आदेश के अनुसार अनिवार्य हैं। आरोपी धीरज उक्त आदेश में वितरक की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वितरक की श्रेणी में भी नहीं आता हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी धीरज द्वारा अप्राधिकृत रूप से एल०पी०जी० सिलेण्डर का भण्डारण एवं विक्रय किया गया है जो कि उक्त आदेश की धारा 6 में प्रतिशेधित हैं।

🌉 7 🤡 आपराधिक प्रकरण कमांक 1322/2011

- 22. आरोपी धीरज ब0सा01 ने अपने कथन में यह तो व्यक्त किया हैकि उसे मालनपुर क्षेत्र में गैस सिलेण्डर वितिरत करने का अधिकार सिमधा गैस एजेंसी द्वारा दिया गया था परन्तु लिये गये बचाव के संबंध में आरोपी धीरज द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। आरोपी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज नियम इत्यादि भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सिमधा गैस एजेंसी को इस तरह से आरोपी को गैस सिलेण्डर वितरण हेतु दिये जाने की अधिकारिता थी। उक्त तथ्य को साबित करने का भार पूर्णतः आरोपी पर था परन्तु आरोपी द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है न ही आरोपी द्वारा उक्त संबंध मे सिमधा गैस एजेंसी के संचालक को परीक्षित कराया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी धीरज का यह बचाव कि उसे विधिनुसार सिलेण्डर रखने एवं वितरण करने की अधिकारिता प्राप्त थी स्वीकार योग्य नहीं हैं। आरोपी धीरज ब0सा01 द्वारा स्वयं उससे सिलेण्डर जप्त होना स्वीकार किया गया है एवं यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा सिलेण्डर का विक्रय किया जाता था चूंकि आरोपी धीरज यह साबित करने में असफल रहाहै कि उक्त सिलेण्डर को रखने एवं विक्रय करने की विधिनुसार उसे अधिकारिता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता हैकि आरोपी धीरज द्वारा एल.पी.जी गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था एवं उनका अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 03 का उल्लंघन है।
- 23. जहां तक आरोपी सतीश का प्रश्न है तो अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी सतीश लोडिंग गाडी कमांक एम.पी.07 एल.1791 का चालक था एवं उक्त गाडी में 03 सिलेण्डर रखे हुये पाये गये थे तथा उक्त गाडी से धीरज जैन की दुकान में सिलेण्डर उतारे जा रहे थे। परन्तु प्रकरण में आरोपी सतीश से कोई जप्ती नहीं की गई है। फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया हैकि वह नहीं बता सकता कि आरोपी सतीश वाहन कमांक एम.पी.07 एल.1791 का मालिक था या नही तथा यह भी स्वीकार किया हैकि जप्ती पंचनामा प्र0पी03 में आरोपी सतीश के मौके पर उपस्थित होने का कोई जिक नहीं हैं। जहां तक साक्षी मुकेश श्रोतिय आ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह बताया है कि वह जप्तशुदा वाहन कमांक एम.पी07 एल.1791 का मालिक है एवं उसके न्यायालीन कथन से लगभग 03–04 साल पहले एक जैन व्यक्ति सतीश को ग्वालियर ले गया था और वहां से गाडी में गैस सिलेण्डर लेकर आया था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त व्यक्ति सतीश को किस दिनांक को ले गया था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के सामने कोई सिलेण्डर जप्त नहीं हुये है। उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 24. फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया हैिक आरोपी सतीश गाडी चला रहा था और वह मौके पर था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपी सतीश गाडी चला रहा था। प्र०पी०1 के पंचनामें में नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी सतीश से कोई जप्ती नहीं हुई है। फरियादी रामेन्द्र भदौरिया आ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया हैिक आरोपी सतीश गाडी चला रहा था परन्तु जप्तशुदा लोडिंग आटो क्रमांक एम.पी.07 एल.1791 आरोपी सतीश से जप्त नहीं हुई है। प्र०पी०3 के जप्ती पंचनामें के अनुसार 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं लोडिंग गाडी क.एम.पी.07 एल.7191 आरोपी धीरज जैन से जप्त किये गये है। आरोपी

सतीश के आधिपत्य से न तो गाडी कमांक एम.पी.07 एल.1791 जप्त की गई है और न ही सिलेण्डर जप्त किये गये है। प्रकरण में आरोपी सतीश से कोई जप्ती नहीं हुई हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी सतीश घटना के वक्त लोडिंग गाडी कमांक एम.पी.07 एल.1791 का चालक था एवं उसके द्वारा जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से परिवहन किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी सतीश के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी सतीश को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 25. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित में असफल रहाहै कि घटना दिनांक को आरोपी सतीश ने धीरज जैन के मकान एवं गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया एवं उन्हें अधिक कीमतों पर विक्रय किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी सतीश कुमार शर्मा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 26. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी धीरज ने घटना दिनांक 25/10/16 एवं उसके पूर्व मालनुपर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में अपने मकान एवं गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया एवं उन्हें अधिक कीमतों पर अवैध रूप से विक्रय किया। फलतः यह आरोपी आरोपी धीरज जैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।
- 27. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च-

- 28. आरोपी धीरज एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाकि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम सजा से दंडित किया जावे।
- 29. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता हैिक अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामान किया गया है परन्तु आरोपी व्यस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामो को समझने मे पूर्णतः सक्षम था आरोपी धीरज द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्ड का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी धीरज को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत 06 माह के सन्नम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सन्नम कारावास से दंडित किया जाता है।

ष 💁 आपराधिक प्रकरण कमांक 1322 / 2011

- 30. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 31. प्रकरण में जप्तशुदा 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं लोडिंग गाडी क्रमांक एम.पी.07 एल. 1791 अपील अवधि पश्चात सरकार के पक्ष में समपहत किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 32. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में दिनांक 26/10/11 से दिनांक 29/10/11 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं।

THIS PAROTAL SUR

33. 🌭 📗 तदनुसार आरोपी धीरज का सजा वारंट तैयार किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 02–12–2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)